न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 32–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–11–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण कमांक 100/2013–14/अपील

रविन्द्र पिता हीरालाल पाटीदार
निवासी ग्राम बालागुड़ा तहसील मल्हारगढ
जिला मंदसौर

——— आवेदक

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा अनुविभागीय अधिकारी
   मल्हारगढ
2. कचरू पिता सीताराम
   निवासी ग्राम बालागुड़ा तहसील मल्हारगढ
   जिला मंदसौर

——— अनावेदकगण

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्री आर0.डी0 शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २६ मार्च 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 2 कचरू ने कलेक्टर मंदसौर के समक्ष एक शिकायती आवेदन जनसुनवाई में प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि ग्राम बालागुढ़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक

881रकबा 0.09 हेक्टेयर मेरे कब्जे में थी व कुए पर जाने का रास्ता था, जो आवेदक रविन्द्र द्वारा रोका है। तहसीलदार ने विधिवत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ ने आवेदक का पट्टा निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त उज्जैन को अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 25–11–14 के द्वारा अपील निरस्त की। अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि ग्राम पंचायत ने आवेदक को विधिवत ठहराव प्रस्ताव कमांक 13 दिनांक 26–1–12 के आधार पर दिनांक 8–2–2012 को 50X15 का पट्टा प्रदान किया था जिसपर अनावेदक कमांक 2 को कोई आपत्ति नहीं थी और न ही उसके विरूद्ध कोई अपील अनावेदक कमांक 2 द्वारा की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र शिकायती आवेदन पर आवेदक का पट्टा निरस्त कर दिया। जबकि इसके विरूद्ध विधिवत अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी। यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने इस ओर ध्यान न देकर आवेदक की अपील निरस्त की दी। तर्क में यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राम पंचायत का बिना रिकार्ड का अवलोकन किये आदेश पारित कर दिया। अपर आयुक्त ने बिना रिकार्ड मंगाये अपील प्रकरण का निराकरण कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक कमांक 1 के अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने पटवारी के जांच प्रतिवेदन एवं जांच के पश्चात ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे को त्रुटिपूर्ण माना। ग्राम पंचायत द्वारा लेआउट स्वीकृति के पूर्व ही पट्टा दिया गया। पट्टे में प्लाट दिया गया। प्लाट वास्तव में किस स्थान पर है यह बिना ले आउट के ज्ञात नहीं हो सकता। पट्टा आवासहीन को दिया जाता है, पट्टा देने के पूर्व यह जांच भी

नहीं की गई कि क्या आवेदक पट्टे की पात्रता रखता है अथवा नहीं। पट्टा निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अपर आयुक्त ने भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है एवं अपील निरस्त की। दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश उचित हैं, अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कमांक 2 के अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत इश्तहार प्रकाशन नहीं किया न ही ग्राम में ड्योडी पीटी गई। सरपंच ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से आवेदक को पट्टा प्रदा कर दिया जिसपर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। यह भी तर्क दिया कि अवासीय योजना हेतु जारी पट्टे का विधिवत लेआउट भी पास नहीं किया गया। जब लेआउट ही पास नहीं हुआ तो प्लाट नम्बर कैसे आवंटित कर दिये गये। तर्क में यह भी कहा कि आवेदक के पास पट्टे में प्राप्त भूमि के अतिरिक्त स्वयं की भूमि थी वह भूमिहीन नहीं था। आवेदक को पट्टे की पात्रता नहीं थी। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत जांच उपरांत पट्टा निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त ने भी सही पाया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। यद्यपि आवेदक अभिभाषक का यह तर्क उचित है कि आवेदक को प्राप्त पट्टे के विरूद्ध अनावेदक को विधिवत अपील प्रस्तुत करना चाहिए थी, जो कि नहीं की गई है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर की ओर से जनसुनवाई में प्राप्त शिकायती आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण में अपील मानकर ही विधिवत जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया गया है, तथा आवेदक को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। चूंकि प्रकरण शासकीय भूमि से सम्बन्धित था इसलिए तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई। तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में यह पाया कि आवेदक को 50X15 फीट का पट्टा दिनांक 8–2–12 को जारी किया गया

है जिसपर दिनांक अंकित नहीं है। पट्टा एवं भवन निर्माण की अनुमति पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। लेआउट स्वीकृति के पूर्व पट्टा जारी किया गया है। आवासहीनों की भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नियम बने हैं जिसका पालन करते हुए ग्राम के आवासहीनों को आवासीय पट्टा दिए जाने चाहिए। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक को भूमिहीन नहीं पाया एवं पट्टे के विधिवत प्रदाय करना नहीं पाया। अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत जांच उपरांत आदेश पारित किया है। आवेदक अभिभाषक का यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि अपर आयुक्त ने बिना अभिलेख मंगाये आदेश पारित किया है, अतः उसे निरस्त किया जाए। अपर आयुक्त के अभिलेख का अवलोकन किया अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख का परीक्षण एवं उभय पक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात गुण–दोष पर आदेश पारित कर ले आउट बाद में स्वीकृत होने तथा आवास हेतु पट्टा पहले देने तथा प्लाट की अनुशंसा 30X50 फुट की होने पर 15X50 फुट का प्लाट अपास व्यक्ति को देने के कारण अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त का उक्त आदेश उचित है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25–11–14 एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ का आदेश दिनांक 22–8–13 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रकट नहीं होने से यथावत रखे जाते हैं।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर